

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 12 जून, 2017 (ज्येष्ठ 22, 1939)

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 100-जबलपुर पश्चिम से निर्वाचित सदस्य, श्री तरुण भनोत को बंदी एवं रिहा किये जाने की सूचना.

जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर, मध्यप्रदेश की ओर से माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा को संबोधित पत्र दिनांक 08.06.2017, जो इस सचिवालय में दिनांक 09.06.2017 को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार है :-

“ मुझे आपको यह सूचना देनी है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151, 107-116 के अंतर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री तरुण भनोत को (यथास्थिति, बंदीकरण या निरोध के कारण) बंदी/निरुद्ध कर लिया जाये.

तदनुसार मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य, श्री तरुण भनोत को दिनांक 08.06.2017 को शाम 4.00 बजे बंदी कर राईट टाऊन जबलपुर में रखा गया और उन्हें उसी दिन को शाम 6.00 बजे रिहा कर दिया गया है. ”

ए.पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.